न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी हॅसमुख कुमार, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 27 / 2019

प्राथीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1–देवीसिह पुत्र पेपसिंहजी 2–[illegible]ाबूसिंह पुत्र पेपसिंहजी सभी आयु व्यस्क जाति देवडा राजपूत निवासी जैला तेहसील सिरोही जिला सिरोही		1– अन्तरकंवर पत्नि लाखसिंहजी 2– उसबकंवर पत्नि नाथूसिंहजी 3– कानसिंह पुत्र अमरसिंहजी 4– गंगासिंह पुत्र कल्याणसिंहजी 5– जसवन्तकंवर पुत्री लाखसिंहजी 6– जितेन्द्रसिंह पुत्र नाथुसिंहजी 7– डुंगरसिंह पुत्र धोकसिंहजी 8– पूजाकंवर पुत्री लाखसिंहजी आयु 16 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता अन्तरकंवर पत्नि लाखसिंहजी 9– पृथ्वीराजसिंह पुत्र लाखसिंहजी आयु 14 वर्ष नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता अन्तरकंवर पत्नि लाखसिंहजी 10– पारसकंवर पत्नि रूपसिंहजी 11– बालुसिंह पुत्र रूपसिंहजी 12– महेन्द्रसिंह पुत्र रूपसिंहजी 13– मालमसिंह पुत्र रूपसिंजी आयु 12 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता अंन्तरकंवर पत्नि लाखसिंहजी 14– श्यामसिंह पुत्र रूपसिंहजी सभी आयु व्यस्क जाति राजपूत पेशा खेती निवासी जैला तहसील व जिला सिरोही 15– [illegible] राज्य जरिये तहसीलदार [illegible]सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:29:20 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–
1– श्री ऋषि माथुर वकील प्रार्थी [illegible]
2–अप्रार्थी संख्या 1 से 7 तक व [illegible] वकील श्री दिनेशकु[illegible]राणा
3– अप्रार्थी संख्या 15 स्टेट तह.सिरोही की ओर से परोकार (ना.तह.सिरोही)

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

रा.प्रा.अ.धारा 251(क) की उपधारा (1)राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 10 –11–2020

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 तक के विरूद्व वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 20–5–2019 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम जैला पटवार हल्का जैला तहसील सिरोही जिला सिरोही मे आई हुई है जिसके खसरा नंबर 407 रकबा 1.9300 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 465 रकबा 2.1500 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 2 रकबा 4.0800 हैक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि पर पिछले कई वर्षो से लगातार काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थी के लिये उनके खातेदारी की कृषि भूमि मे आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड मे कोई रास्ता अंकित नही है जिससे प्रार्थी उसके खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नबर 471 और 466 की भूमि मे से संलग्न नक्शे मे वर्णित ''ए'' से ''बी'' रास्ते से पिछले कई वर्षो से आता जाता रहा है और उक्त ''ए'' से ''बी'' रास्ते के रूप मे अंकित नही होने से प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने मवेशी,ट्रेक्टर,बैलगाडी लाने ले जाने हेतु कई बार समस्याओं का सामना करना पडता है, प्रार्थी मध्यम वर्ग का काश्तकार व्यक्ति है जिसके पुरे परिवार का भरण पोषण उक्त कृषि भूमि की आय से होता है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु रास्ते की सख्त आवश्यकता है। उक्त रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 471 व 466 वाले हिस्से पर 12 फिट चौडा कायम किया जा सकता है। खसरा नंबर 471 ओर 466 की भूमि में से गुजरने वाला उक्त ''ए'' से ''बी'' रास्ता जितनी भी लबाई का होता है उसे खसरा नंबर 471 और 466 राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज करवाना चाहता है इसके लिये प्रार्थी राज्य सरकार के आदेशानुसार शुल्क अदा करने हेतु तैयार है। इस कारण प्रार्थी को मजबूरन यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। अतः प्रार्थी का उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपने खातेदारी और कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम जैला पटवार हल्का जैला तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 471 व 466 की कृषि भूमि मे दर्शाये संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस ... मौके ''ए'' से ''बी'' हिस्से मे 12 फिट चौडा और मौके अनुसार लम्बे रास्ते ... राजस्व रेकर्ड मे रास्ता अंकित किये जाने के आदेश पारित करना फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:29:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित मौजा जैला पटवार हल्का जैला की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खसरा नंबर 407, 465 तथा जमाबंदी संवत 207

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

से 2074 खसरा नंबर 466, 471 आधार कार्ड देवीसिंह, पाबूसिंह, खसरा गिरदावरी, नक्शा, आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतियो का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 20–5–2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 तक को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विचारण प्रार्थनापत्र की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 25–6–2019 को नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये तथा दौराने सुनवाई अप्रार्थी संख्या 1 से 7, 10 व 14 की ओर से वकील श्री दिनेशकुमार सुराणा ने दो अलग अलग वकालतनामे पेश किये जिन्हे शा.मि. किये गये।

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 21–10–2019 को अप्रार्थी संख्या 15 स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्र कमांक 576 दिनांक 30–8–2019 के द्वारा जवाब मय नजरी नक्शा व प्रार्थी व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की है जिसे शामिल मिसल किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 6.12.2019 को सुनवाई पर निरंतर अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 8,9,11,12 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। दिनांक 13.1.2020 को अप्रार्थी संख्या 13 के विरूद्व भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस के उपरांत दिनांक 17.3.2020 को गुणावगुण के आधार पर मौका जांच रिपोर्ट मंगवाये जाने का आदेश पारित किया जिसके कम में दिनांक 6.11.2020 को उक्त रिपोर्ट प्राप्त हुई जो भूअनिरीक्षक तंवरी व पटवारी हल्का जैला द्वारा दिनांक 26.10.2020 को तहरीर की हुई है। उक्त रिपोर्ट के संलग्न दिनांक 23.10.2020 की मौका फर्द भी प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई। मौकाफर्द दिनांक 23.10.2020 के अनुसार खसरा नंबर 471 रकबा 2.55 बा–3 संयुक्त खातेदारी अंतरकंवर पत्नी लाखसिंह वगैरह की है एवं खसरा नंबर 466 रकबा 1.80 गै.मु. कातरा की भूमि है जिसमें से होकर प्रस्तावित रास्ता की जगह में किसी प्रकार की स्थायी संरचना या बाधक नहीं है। खसरा नंबर 407 व 465 में जाने का कोई दूसरा रास्ता रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है एवं अन्य स्थल से रास्ता नही है। मौके की स्थिति अनुसार प्रस्तावित रास्ता लघूतम है एवं अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 30.8.2019 में कोई विरोधाभासी इन्द्राज नहीं है लेकिन इस जवाब में गुणावगुण के आधार पर निष्कर्ष या औचित्य का विवरण अंकित नहीं किये जाने से पुनः 17.3.2020 की आदेशिका अनुसार रिपोर्ट प्राप्त की गई। संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित रास्ते का लाल स्याही से अंकित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:29:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण की अंतिम बहस [illegible] विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अपना अपना पक्ष रखा गया। प्रार्थी अधिवक्ता श्री [illegible] द्वारा यह [illegible] की गई कि खसरा नंबर 407 व 465 प्रार्थीगण की खातेदारी है जिसमें आने जाने के लिए नियमानुसार रास्ते की मांग की गई है जो दिलवाया जावे। अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री सुराणा द्वारा यह कहा गया कि प्रार्थीगण के पास

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

खातेदारी में जाने के लिये खसरा नंबर 469, 470 व 467 में रास्ता उपलब्ध है एवं रास्ते के अभाव में कभी भी प्रार्थी की भूमि पडत नहीं रही है। अत वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से नये सर रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। मौके पर चाही गये रास्ता का कोई पूर्व में अवशेष नहीं है। अप्रार्थीयॉ विधवा महिला होने से अनावश्यक रूप से खातेदारी में से रास्ता चाहा गया है जो अनुचित है।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थनापत्र अ0धा0 251(क) आर.टी.एक्ट पर वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी व स्टेट तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब स्टेट तहसीलदार सिरोही, गुणावगुण पर आधारित रिपार्ट दिनांक 6.11.2020 व संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व संलग्न नक्शा ट्रेस किश्तवार पटवारी हल्का जैला का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया गया कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि मे जाने के लिये रेकर्ड मे रास्ता दर्ज नही है इस कारण नियमानुसार राशि अदा किये जाने पर प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि में से होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया है। अतः प्रार्थी को खातेदारी आराजी मे होकर आने जाने के लिये मवेशी ट्रेक्टर, बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आत्यांतिक आवश्यकता होने से एवं अन्य वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता सिद्व नहीं होने से तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया उचित समझते है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थीगण 1 से 14 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सिरोही के प्रस्ताव अनुसार उक्त रास्ते की भूमि राजस्व ग्राम जैला के खसरा नंबर 471 और खसरा नंबर 466 में से 12 फीट चौडा संलग्न नक्शा ट्रेस दिनांक 1.5.2019 में दर्शायी गई लम्बाई में वर्णित भूमि रास्ते के रूप मे काम आयेगी। प्राप्त प्रस्ताव में रास्ते में जाने वाली जो भूमि दिखाई है उसकी पुनः गणना करवाकर वास्तविक खसरेवार क्षेत्रफल अनुसार कीमत का अवधारण तहसीलदार सिरोही द्वारा किया जावें। किसी भी स्थिति में रास्ते की चौडाई 12 फीट से अधिक नहीं हो यह ध्यान रखा जावे।

इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 व 251(क) के तहत राजस्थान सरकार के श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र कमांक प03(52) राज–6/4 दिनांक 14–6–2013 बाबत् राजकीय भूमि व अन्य खातेदारी भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध में दिये गये प्रावधानों अनुसार उक्त रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:29:20 IST
Reason: SelfAttested

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और (ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

तहसीलदार, सिरोही द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कथित की राशि प्रार्थीगण द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 15 को स्वामित्व एवं अनुपातिक हिस्से अनुसार राशि का भुगतान करने पर भूमिधारी तहसीलदार, सिरोही को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार दर्शाये अनुसार 12 फीट चौडाई के रास्ते की भूमि खातेदारी में से कम कर राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे। निर्णय आज दिनांक 10–11–2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी सिरोही (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी ★ सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:29:20 IST
Reason: SelfAttested